

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 723]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 17 सितम्बर 2025 — भाद्र 26, शक 1947

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 17 सितम्बर 2025

अधिसूचना

क्रमांक LAND-43/241/2025-C&I.— चूंकि, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य के औद्योगिक विकास को अधिक गति देने के लिए, औद्योगिक पट्टे की अवधि एवं नवीनीकरण के प्रावधानों में स्पष्टता और एक-रूपता लाना लोकहित में आवश्यक है,

अतएव राज्य शासन, एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में, इन नियमों के नियम 3.15 की शक्तियों का प्रयोग करते हुये, निम्नानुसार अग्रतर संशोधन करता है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियमों में, कंडिका 2.12 के स्थान पर निम्नानुसार कंडिका प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् -

“2.12 पट्टे की अवधि एवं नवीनीकरण:-

- (1) पट्टे की अवधि भूमि के लिये अधिकतम 99 वर्ष तथा भवन, शेड, प्रकोष्ठ के लिये अधिकतम 30 वर्ष होगी।
- (2) नवीनीकरण हेतु पट्टे की वैधता अवधि समाप्त होने के छः माह पूर्व आवेदन करना होगा। पट्टे की वैधता अवधि के अंतिम छः माह में आवेदन करने पर, सूक्ष्म/लघु/माध्यम उद्यम के लिए 05 हजार रुपये एवं अन्य उद्यम के लिए 10 हजार रुपये का विलम्ब शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। पट्टा अवधि के पर्यावसान के पश्चात् नवीनीकरण की स्थिति में तत्समय प्रचलित प्रब्याजी का 10 प्रतिशत प्रति विलंब वर्ष की दर से विलंब शुल्क अधिरोपित किया जाएगा।
- (3) नवीनीकरण पूर्व निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जा सकेगा।
- (4) नवीनीकरण शुल्क के रूप में तत्समय प्रचलित प्रब्याजी के 10 प्रतिशत के बराबर राशि प्राप्त कर तथा तत्समय प्रचलित प्रब्याजी के आधार पर भू-भाटक, संधारण शुल्क एवं अन्य आवर्ती राशियों का निर्धारण कर आबंटन प्राधिकारी के द्वारा किया जा सकेगा।

- (5) पूर्व में अविकसित भूमि के लिए आबंटित पट्टे के नवीनीकरण शुल्क का निर्धारण समीपस्थ औद्योगिक क्षेत्र के विकसित भूमि के समान होगा।
- (6) पट्टे के विलेख में नवीनीकरण की अवधि के विषय में अन्य तथ्य होते हुए भी, भूमि के पट्टे का नवीनीकरण 30 वर्ष के लिए तथा भवन, शेड, प्रकोष्ठ का नवीनीकरण 10 वर्ष के लिए किया जाएगा।
- (7) नवीनीकरण के पश्चात् आवश्यक संशोधनों को शामिल कर संशोधित पट्टाविलेख का निष्पादन करना होगा, जिसका पंजीयन आवेदक को कराना अनिवार्य होगा।“

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.